भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2426

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

पारदर्शी नीलामी एवं जनजातीय कल्याण

2426. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा की गई कोयला ब्लॉक की पारदर्शी नीलामियों से छत्तीसगढ़ राज्य की राजस्व साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न एवं हस्तांतरित रिकॉर्ड राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधियों का उपयोग जनजातीय एवं कोयला-धारक क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए सफलतापूर्वक किया है; और

(घ) यदि हां, तो भूमि मुआवजा, पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं पेयजल परियोजनाओं के अंतर्गत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख): कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी बाजार की गतिशीलता (राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई)/थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)) द्वारा यथा निर्धारित कोयले के मूल्य से जुड़े प्रतिस्पर्धी राजस्व-साझाकरण तंत्र के माध्यम से की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य सहित कोयलाधारी राज्यों को राजस्व प्राप्त हुआ है। पारदर्शी नीलामी तंत्र के तहत, कोयला खानों का आवंटन बोलीदाता को किया जाता है जो राज्य सरकार को उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी प्रदान करते हैं।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सभी आवंटित खानों (कैप्टिव और वाणिज्यिक) से छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त राजस्व सृजन (अग्रिम राशि और मासिक प्रीमियम) निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	मासिक प्रीमियम (रु. करोड़)
वित्ततीय वर्ष 2021-22	629.6
वित्तीय वर्ष 2022-23	1581.2
वित्ततीय वर्ष 2023-24	1839.2
वित्तीय वर्ष 2024-25	1685.8
वित्तीय वर्ष 2025-26	1739.1

(ग) और (घ): यह उल्लेख किया जाता है कि डीएमएफ को खनन पट्टा धारकों द्वारा जिला स्तर पर स्थापित संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्टों को सीधे किए गए योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का उद्देश्य खनन से संबंधित प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित में और लाभ के लिए काम करना है, जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए है। केंद्र सरकार की भूमिका डीएमएफ द्वारा निधि की संरचना और उपयोग के संबंध में निर्देश जारी करने से संबंधित है। तदनुसार, खान मंत्रालय ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देश, 2024 जारी किए हैं।

पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024 निर्धारित करता है कि परियोजनाओं का चयन और डीएमएफ से निधि के व्यय की मंजूरी पूरी तरह से डीएमएफ की अधिशासी परिषद के पास होती है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट करते हैं और इसमें सांसद, विधायक और एमएलसी जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा, दिशा-निर्देशों में यह भी अधिदेशित किया गया है कि कम से कम 70 प्रतिशत निधियों का उपयोग पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाए और निधियों का 30 प्रतिशत तक उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाए।
